

13.02.2025

पतावली पेश। अपील अपीलान्त उपरि-मत नही,  
ना ही अभिभाषक अपीलान्त उपर। आवाज लगादि  
गदि फिर भी अपील अपीलान्त एवं अभिभाषक  
अपीलान्त उपरिमत नही। इससे अपीलान्त की  
अपील-चलाने में रुचि जादित नही होती है।

अतः अपील अपीलान्त अदम पैरवी,  
अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पतावली  
फैसल शुभाह होकर दारिखत दफतर ही।

आदेश खुली नमामालम में सुनाया गया।

(<sup>9</sup>उम्मेदी लाल मीना)

अपर जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़